

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई. दिनेश उपाध्याय,
सरकार के उप सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार सिंह
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची।

श्री विनय कुमार ठाकुर
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), सिंचाई प्रमण्डल, पाकुड़।

श्री सुधीर प्रसाद सिंह
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा।

श्री अखिलेश कुमार मिश्र
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार)
योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल संख्या-07, जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री देव आशीष
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), सिंचाई प्रमण्डल संख्या-1, बरहेट।

श्री सुबोध प्रसाद सिंह
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, दुमका।

श्री उमेश कुमार सिंह
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार)
सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची।

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), रुपांकण प्रमण्डल संख्या-1 मेदिनीनगर।

श्री सुरजन कपरदार
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार)
तेनुघाट बौध प्रमण्डल, तेनुघाट
सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), के रुप में सेवा नगर विकास विभाग

श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
तकनीकी सलाहकार (चालू प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, हजारीबाग।

श्री बजरंगवली सिंह
कार्यपालक अभियन्ता (चालू प्रभार), लघु सिंचाई प्रमण्डल, रामगढ़।

राँची, दिनांक :-

विषय:-स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :-विभागीय अधि० सं० 6226 दिनांक 30.12.11 एवं विभागीय अधि० सू० 6227 दिनांक 30.12.11 तथा विभागीय अधि० सं० 6224 दिनांक 30.12.11

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि प्रसंगाधीन अधिसूचना के अनुपालन में विभागीय आदेश सं० 179 दिनांक 12.1.12 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अपने वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर नव पदस्थापित पद/कार्यालय का प्रभार दिनांक 20.1.2012 तक ग्रहण कर विभाग को सूचित करना था, परन्तु आपके द्वारा नव पदस्थापित पद/कार्यालय का प्रभार लेने की सूचना/प्रभार प्रतिवेदन 202 उपलब्ध कराया गया परन्तु पूर्व पद का प्रभार त्यागने की सूचना अब तक विभाग को नहीं दी गयी है, जो प्रथम द्रष्टया विभागीय आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्यों के निष्पादन में शिथिलता एवं

अनुशासनहीनता का द्योतक है। इसके लिए क्यों नहीं आपको निलंबित कर आपके उपर विभागीय कार्यवाही चलाई जाए?

अतएव उक्त अंकित तथ्यों के आलोक में अपना स्पष्टीकरण पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए

विश्वासभाजन,

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

468


राँची, दिनांक :-

1. 2. 12

निबंधित

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, ईचा, जमशेदपुर / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, चांडिल, जमशेदपुर / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, राँची / मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर / मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, दुमका / मुख्य अभियन्ता, यांत्रिक, राँची / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से सम्बन्धित अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभाग को ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)